FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलेक्टर, सीकर

भंवरलाल बनाम **सोमेन्द्र सिंह (NTDR दांतारामगढ़) आदि**

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण (मुंतकिली) **मुकदमा नम्बर – 27 /2026**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.05.2026	प्रार्थी **भंवरलाल** की ओर से वकील **श्री बजरंगलाल शर्मा** ने उपस्थित होकर यह **प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण (मुंतकिली) न्यायालय नायब तहसीलदार दांतारामगढ़ में विचाराधीन प्रकरण 92/2026 अंतर्गत धारा 91(1) बउनवानी सरकार बनाम भंवरलाल को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु** पेश किया है। पत्रावली को दर्ज किये जाने के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मुंतकिली में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि, राजस्व ग्राम कांकरा, पटवार हल्का कांकरा, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र करड़, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.) की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1177/1276 रकबा 3.50 हेक्टेयर राजस्व रिकार्ड में सरकारी भूमि दर्ज है तथा भूमि की किस्म बारानी है। हल्का पटवारी ग्राम कांकरा द्वारा नायब तहसीलदार दांतारामगढ़ के यहां उक्त वर्णित भूमि बाबत प्रार्थी के विरूद्ध एक साजशी शिकायत पेश की गयी कि प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1177/1276 के 1.00 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। उक्त शिकायत पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को धारा 91(1) एल.आर.एक्ट का नोटिस जारी कर दिनांक 16.02.2026 को तलब किया गया तथा वर्तमान में उक्त प्रकरण में आगामी पेशी 20.05.2026 नियत है। प्रार्थी द्वारा मौखिक रूप से नायब तहसीलदार दांतारामगढ़ से निवेदन किया गया कि उक्त भूमि पर हमारा करीब 30–32 वर्षो से कब्जा है तथा उक्त भूमि पर काबिज काश्त है आपके पास इस बाबत झूठी शिकायत पेश हुई है जिस पर नायब तहसीलदारी द्वारा स्पष्ट कहा गया कि उक्त भूमि को खाली करवाने बाबत मुझ पर आपके ग्राम के सरपंच पति सीताराम जी द्वारा राजनैतिक पहुंच का दबाव बनाया जा रहा है तथा प्रकरण में यथाशीघ्र ही प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय कर बेदखली की कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थी के उक्त आराजी पर आवासीय मकानात कदीमी बने हुए है तथा इस प्रकार राजनैतिक दुष्प्रभाव के कारण बेदखली की कार्यवाही करने पर प्रार्थी को गम्भीर आर्थिक व साम्पतिक नुकसान होने की पूर्ण संभावना है। चूंकि अधीनस्थ नायब तहसीलदार द्वारा तथा साथ ही उक्त साजिशकर्ता के द्वारा एलानिया कहा गया है कि तहसीलदार जी मेरे पूर्ण प्रभाव में है तथा यथाशीघ्र ही तुम्हें वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया जावेगा। प्रार्थी को पूर्ण रूप से नायब तहसीलदार के व्यवहार से व उक्त सरपंच पति द्वारा दी गयी धमकी से यह युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो गयी है कि Contd...	

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम् जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त प्रकरण का विधि अनुसार निस्तारण न किया जाकर मनमाने तौर पर अनुचित प्रभाव व दबाव में आकर निश्चय ही न्याय प्रणाली का गला घोंटकर निर्णय किया जावेगा। प्रार्थी को नायब तहसीलदार श्री सोमेन्द्र सिंह के न्याय पर कतई भरोसा नहीं रहा है। इसलिए प्रार्थी के कानूनी हितों की रक्षार्थ उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री सोमेन्द्र सिह, नायब तहसीलदार दांतारामगढ के न्यायालय से तत्काल मुन्तकिल की जाकर किसी सक्षम अधिकारिता वाले निष्पक्ष व ईमानदार अधिकारी के न्यायालय में विधि पूर्ण निस्तारण के लिए भिजवायी जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी एक साक्षर किस्म का अनपढ़ कृषक पेशा व्यक्ति है तथा जिसे सरकार की न्याय प्रणाली पर पूर्ण भरोसा है परन्तु इस प्रकरण में उक्त भरोसा टुटता हुआ प्रतीत हो रहा है इसलिए न्यायहित में भी उक्त पत्रावली अन्यत्र ट्रांसफर किया जाना आवश्यक है वैसे भी कानून की यह स्पष्ट मंशा रही है कि पक्षकार को न्याय मिल रहा है ऐसा प्रतीत भी होना चाहिये। अतः सेवामें प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर में लम्बित प्रकरण नम्बर 92/2026 बउनवानी सरकार बनाम भंवरलाल अन्तर्गत धारा 91(1) एल.आर.एक्ट की पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दांतारामगढ़ से अन्य सक्षम व निष्पक्ष अधिकारी के न्यायालय में अंतरित/मुन्तकिल किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। इसलिए प्रार्थी की आंशका को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का आवेदन मुंतकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के यहां विचाराधीन दावा प्रकरण संख्या 103/2023 बउनवानी सांवरमल बनाम मंदिर मूर्ति ज्यानकीनाथ आदि वगैरह को तलब कर श्रीमानजी स्वयं सुनवायी करें या किसी निष्पक्ष अधिकारी के यहां स्थानान्तरित की जाने की आज्ञा फरमायें। **हमने वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया।** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित है कि, प्रश्नगत राजस्व वाद प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दांतारामगढ़ में दिनांक 02.02.2026 को दर्ज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवायी की जा रही है, एवं पक्षकार को सुनवायी के पर्याप्त अवसर भी दिये जा रहे हैं। प्रश्नगत प्रकरण की आदेशिका से प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवायी के समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाकर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण पत्रावली की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि, प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा **Contd...**	

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम् जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त प्रश्नगत पत्रावली में ऐसी कोई विपरीत कार्यवाही किया जाना जाहिर नहीं आया है जिससे कि पत्रावली पर की गई कार्यवाही विधि के विरूद्ध प्रतीत हो। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ ऐसा कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रश्नगत प्रकरण की पत्रावली में की गई कार्यवाही नियमानुसार अथवा विधिक रूप से नहीं किया जाना प्रतीत होता हो। पत्रावली को दर्ज किये जाने के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया है, जिसके दौरान भी वकील प्रार्थी द्वारा अपने मुंतकिली आवेदन एवं पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों के समर्थन में कोई साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार मात्र कयासों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों को यह न्यायालय उचित नहीं समझता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को मात्र विलम्बित किये जाने की गरज से पेश किया जाना प्रतीत होता है। फिर भी पक्षकारान एवं आमजन का न्याय के प्रति विश्वास बना रहे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना भी उचित प्रतीत होता है। चूंकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान एवं राजस्थान सरकार के द्वारा भी समय–समय पर परिपत्र एवं दिशा निर्देश जारी किये जाकर राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों मुख्यतः पुराने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण बाबत निर्देश दिये जा रहे हैं। उक्त निर्देशों की पालना में राजस्व न्यायालयों में पदस्थापित पीठासीन अधिकारियों द्वारा विचाराधीन राजस्व प्रकरणों में नियमित सुनवायी की जाकर नियमानुसार प्रकरणों को निस्तारित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन काफी बार ऐसा देखने में आया है कि पक्षकारान मात्र अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए न्याय की भावना के विरूद्ध प्रकरणों को लम्बित किये जाने के उद्देश्य से सक्षम न्यायालयों में मुंतकिली आवेदन पेश कर प्रकरणों के निस्तारण को विलम्बित किये जाने का प्रयास करते हैं, जो कि न्याय की मंशा के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार के कृत्यों को यह न्यायालय बिल्कुल न्यायोचित नहीं मानता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस आवेदन को आगे चलाये जाना उचित एवं न्यायोचित नहीं मानता है। प्रार्थी भंवरलाल की ओर से जरिये वकील प्रस्तुत यह **प्रार्थना पत्र मुन्तकिली दर्ज कर खारिज किया जाता है।** पक्षकारान एवं आमजन का न्याय के प्रति विश्वास बना रहे इसलिए **अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दांतारामगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रश्नगत प्रकरण संख्या 92/2026 सरकार बनाम मंदिर भंवरलाल में पक्षकारान को दस्तावेज एवं जवाब आदि प्रस्तुत करने तथा सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (आशीष मोदी) **जिला कलेक्टर, सीकर** (आशीष मोदी) जिला कलेक्टर, सीकर	

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)